**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3354 का उत्तर**

**रेलवे स्टेशनों से आरक्षण चार्ट को हटाया जाना**

**3354. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः**

 **श्री टी. जी. वेंकटेशः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ‘स्वच्छ रेलवे’ अभियान के अंग के रुप में, रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण चार्ट प्रदान करने की परिपाटी को समाप्त करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय से यात्रियों में उथल-पुथल मच जाएगी और इस कारण भारी गड़बड़ी हो जाएगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे स्टेशनों से आरक्षण चार्ट हटाए जाने के संबंध में दिनांक 23.03.2018 को राज्य सभा में श्री धर्मपुरी श्रीनिवास और श्री टी.जी. वेंकटेश के अतारांकित प्रश्‍न सं. 3354 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख) : दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित इसी प्रकार के सफल प्रयोग के आधार पर, भारतीय रेल के ऩई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मुम्बई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, हवड़ा और सियालदह स्टेशनों पर गाड़ी के सवारी डिब्बों पर आरक्षण चार्ट चिपकाने की प्रथा प्रायोगिक आधार पर तीन माह की अवधि के लिए समाप्त कर दी गई थी। क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त सकारात्मक फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, 01.03.2018 से आरंभ करके छह माह के लिए पायलट परियोजना के रुप में पूर्ववर्ती ए1, ए और बी कोटि के सभी स्टेशनों पर गाडियों के आरक्षित सवारी डिब्बों पर आरक्षण चार्ट चिपकाना बंद करने का विनिश्चय किया गया है।

आरक्षित सवारी डिब्बों पर आरक्षण चार्ट चिपकाने की प्रथा को समाप्त करने के पीछे तर्क नीचे दिए गए हैं:

1. कन्फर्म टिकट धारक यात्री को अपने सवारी डिब्बे/ बर्थ संख्या की जानकारी होती है क्योंकि फर्स्ट क्लास वातानुकूलित श्रेणी के मामले को छोडकर, टिकट बुकिंग के समय ही टिकटों पर इनका उल्लेख कर दिया जाता है।
2. इस समय लगभग 65% आरक्षित टिकटें इंटरनेट के जरिए जारी की जा रही हैं, जिसके लिए मोबाइल नम्बर निरपवाद रुप से मांगा जाता है, जिस पर बुकिंग के समय एसएमएस भेजा जाता है।
3. प्रतीक्षारत और रद्दकरण के बदले आरक्षण (आरएसी) प्राप्त करने वाले यात्री गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से कम-से-कम चार घंटे पूर्व पहला आरक्षण चार्ट तैयार किए जाने के समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए अपनी अद्यतन स्थिति प्राप्त करते हैं।
4. बड़े स्टेशनों पर डिजिटल चार्ट प्रणाली संस्थापित है और अन्य स्टेशनों पर प्रतीक्षासूची में रखी गई टिकटों की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए मैन्युअल बोर्ड लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को गाइड किया जा सके।
5. उपर्युक्त के अलावा, टिकटों की वास्तविक आधार पर स्थिति की जांच के लिए यात्रियों के लिए 139 के जरिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) सेवा ऑन लाईन बुकिंग वेबसाइट उपलब्ध है।
6. इससे लेखन-सामग्री की बचत होगी और साथ ही आरक्षण चार्टों को चिपकाने में जुटी जनशक्ति की भी बचत होगी।

(ग) : जी नहीं। उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय से अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, अब यात्रियों के लिए सवारी डिब्बों पर प्रदर्शित आरक्षण चार्टों के जरिए अपने आरक्षण की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रियों, जो चार्ट/ डिजिटल चार्टों पर अपने आरक्षण की स्थिति देखना चाहते हैं, की सुविधा के लिए ए1, ए और बी कोटि के सभी स्टेशनों के स्टेशन प्लेटफार्मों पर आरक्षण चार्ट का प्रदर्शन जारी रहेगा।

**\*\*\*\*\*\*\***